

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/विविध01-10/2024

पटना, दिनांक :- / / 2026

डा० इन्दु प्रसाद, सह-प्राध्यापक, बायोकेमेस्ट्री विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-02.02.2026 से 06.03.2026 तक कुल-33 (तींतीस) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2342(25) दिनांक-11.11.2025 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में डा० प्रसाद के पक्ष में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत कुल-595-33 = 562 (पाँच सौ बासठ) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी आदेय रहेगी।

3. डा० इन्दु प्रसाद, सह-प्राध्यापक को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं०-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध करायेंगी।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध01-10/2024-61(17) पटना, दिनांक :- 15/01/2026

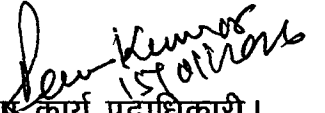
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० इन्दु प्रसाद, सह-प्राध्यापक, बायोकेमेस्ट्री विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।